# उत्तराखण्ड पुलिस ''जीवन रक्षा निधि''

(1) राज्य गठन से अब तक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत कुल 158 मृतक पुलिस कर्मियों के आश्रितों को रू0 3,31,80,000—00 का भुगतान सम्बन्धित बीमा कम्पनी द्वारा किया गया है।

(2) 121 पुलिस अधि0/कर्म0 को गम्भीर बीमारी के उपचार हेतु मुख्यालय जीवन रक्षक निधि से रू0 2,06,84,129—00 की धनराशि अग्रिम के रूप में स्वीकृत की गई है।

(3) कल्याण निधि के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान रू0 4,76,67,000—00 की धनराशि से पुलिस कर्मियों के कल्याणार्थ कार्य किये गये। जैसे—मैस हेतु बर्तन, फर्नीचर, सोलर वाटर हीटर, गैस चूल्हा भट्टी, इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प, डिजीटल कैमरे, पुस्तकालय हेतु ज्ञानवर्धक पुस्तकें, दुर्घटना बीमा, छात्रवृत्ति आदि।

(4) छात्रवृत्ति के अन्तर्गत वर्ष 2006—2011 तक पुलिस कर्मियों के कुल 412 मेधावी बच्चों को रू0 17,34,500—00 धनराशि स्वीकृत की गई है।

(5) शासन द्वारा विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय गम्भीर रूप से घायल पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता रू0 5000 से बढाकर रू0 20,000 की वृद्धि की गई है।

(6) शासन द्वारा थाना/चौकियों में नियुक्त नागरिक पुलिस के कानि0/हेडकानि0 को रू0 350/— प्रतिमाह मोटर साईकिल भत्ता स्वीकृत किया गया है।

(7) डियूटी के दौरान वीरगति को प्राप्त एक पुलिस कर्मी के आश्रितों को उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त रू0 05 लाख की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है।

(8) एल0आई0सी0 द्वारा माह अगस्त 2010 से पुलिस विभाग से अधि0/कर्म0 को ''सामुहिक बीमा बचत योजना'' से आच्छादित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक कुल 77 मृतक पुलिस कर्मियों के परिवारजनों को रू0 76,81,235–00 धनराशि का भुगतान किया गया है।

(9) पुलिस विभाग के अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये वर्दी भत्ता रू0 1500 में बढोतरी करते हुये प्रत्येक पॉच वर्ष में रू0 3000 एवं कानि0 से निरीक्षक तक धुलाई भत्ता रू0 30 के स्थान पर रू0 100 प्रतिमाह की वृद्धि की गई है।

(10) पुलिस विभाग के अधि0/कर्म0 के लिये पदवार पौष्टिक आहार में रू0 150–150 (कुल रू0 300–00 मात्र) की वृद्धि की गई है।

(11) चिकित्सा प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत अब तक कुल 10643 पुलिस कर्मियों एवं उनके आश्रितों को रू0 13,05,18,222–00 धनराशि का भुगतान किया गया है।

(12) उत्तराखण्ड पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान द्वारा 11 केन्द्रीय पुलिस बल जो उत्तराखण्ड राज्य में निवासरत हैं, के आश्रितों को एक–एक लाख कुल रू0 11 लाख अनुग्रह राशि का भुगतान उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया गया है। राज्य के दो मृतक पुलिस कर्मियों के आश्रितों को भी इस संस्थान से एक–एक लाख कुल रू0 02 लाख की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है।

(13) कर्तव्य पालन के दौरान गम्भीर रूप से घायल होने पर शासन स्तर से एक पुलिस कर्मी को रू0 20,000 की धनराशि स्वीकृत की गई है।

(14) उत्तराखण्ड पुलिस में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों को रियायती दरों पर सामान उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक जनपद/इकाई में सी0पी0सी0 कैन्टीन की व्यवस्था की गई है।